न्यायालय अति.संभागीय आयुक्त, बीकानेर संभाग, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी ए.एच गौरी, आर.ए.एस.

अपील संख्या 91/2017 एल.आर. एक्ट (GCMS No 2002/ 00001)

श्रीमती शांतिदेवी धर्म पत्नि ब्रजलाल जाति जाट निवासी किशनपुरा उतरादा, ढाणी चक 9 पी.टी.पी.तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ।

अपीलान्ट

बनाम

1. श्रीमती सावित्री देवी धर्म पत्नि सोहनलाल उर्फ मूलाराम जाति जाट निवासी किशनपुरा उतरादा, ढाणी चक 9 पी.टी.पी.तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ।
2. श्रीमती विमला धर्म पत्नि कृष्णलाल जाति जाट निवासी किशनपुरा उतरादा, ढाणी चक 9 पी.टी.पी.तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ।
3. अनिल कुमार पुत्र कृष्णलाल जाति जाट नाबालिग वविलायत श्रीमती विमलादेवी धर्मपत्नि कृष्णलाल जाति जाट निवासी किशनपुरा उतरादा, ढाणी चक 9 पी.टी.पी.तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ माता खुद
4. सुषमा पुत्री कृष्णलाल जाति जाट नाबालिग वविलायत श्रीमती विमलादेवी धर्मपत्नि कृष्णलाल जाति जाट निवासी किशनपुरा उतरादा, ढाणी चक 9 पी.टी.पी.तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ माता खुद
5. विक्रम पुत्र कृष्णलाल जाति जाट नाबालिग वविलायत श्रीमती विमलादेवी धर्मपत्नि कृष्णलाल जाति जाट निवासी किशनपुरा उतरादा, ढाणी चक 9 पी.टी.पी.तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ माता खुद
6. श्रीमती कमला धर्मपत्नि चिमनलाल पुत्री ब्रजलाल जाति जाट हाल निवासी बोलावाली तहसील संगरिया जिला श्रीगंगानगर।
7. श्रीमती सरोज धर्मपत्नि मोहनलाल पुत्री ब्रजलाल जाति जाट निवासी कुलार तहसील अबोहर जिला फिरोजपुर (पंजाब)
8. श्रीमती कान्ता धर्मपत्नि कालूराम पुत्री ब्रजलाल जाति जाट निवासी सतर खेड़ा तहसील डबवाली जिला सिरसा (हरियाणा)
9. श्रीमती शिमला उर्फ सीमा धर्मपत्नि विनोद पुत्री कृष्णलाल जाति जाट निवासी ढाबा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ।
10. श्रीमती कैलाश पुत्री सोहनलाल उर्फ मूलाराम धर्मपत्नि कंवरलाल जाति जाट निवासी डबलीकला तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।
11. श्रीमती पुनीता पुत्री श्री सोहनलाल उर्फ मूलाराम धर्मपत्नि सतपाल जाति जाट निवासी डबलीकंला तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।

12 सरपंच ग्राम पंचायत इन्द्रगढ तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ।

रेस्पोडेंट्स

उपस्थितः	1. श्री एन. के. गांधी	–	अभिभाषक अपीलान्ट
उपस्थितः	2.श्री मोहम्मद इम्तियाज अली	–	राजकीय अभिभाषक
अनुपस्थितः	3. श्री बलराम नेहरा	–	अभिभाषक रेस्पो. नं. 1 ता 5, 9 ता 11
अनुपस्थितः	4. श्री बृजमोहन जाखड़	–	अभिभाषक रेस्पो. 12

अति.संभागीय आयुक्त
बीकानेर

निर्णय दिनांकः 30–09–2021

1. यह अपील भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत उपखण्ड अधिकारी संगरिया जिला हनुमानगढ के निर्णय दिनांक 25.07.2002 के विरूद्ध पेश हुई है।
2. अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि रेस्पोडेन्ट सं. 1 ता 5 ने इन्तकाल सं. 229 चक 9 पी.टी. पी. तहसील संगरिया ग्राम पंचायत इन्द्रगंढ द्वारा दिनांक 20.04.2001 को स्वीकृत किया के विरूद्व उपखण्ड अधिकारी संगरिया मे अपील पेश कर उसे निरस्त करने का निवेदन किया। जिस पर उपखण्ड अधिकारी संगरिया द्वारा अपने निर्णय दिनांक 25.07.2002 द्वारा इन्तकाल सं. 229 चक 9 पी. टी. पी. को खारिज कर धोषणात्मक वाद के निर्णय तक वादग्रस्त आराजी नामान्तरकरण सं. 229 से पूर्व के इन्द्राज रखे जाने एवं धोषणात्मक वाद में जिसके भी पक्ष में खातेदारी अधिकारी की धोषणा होगी उसके अनुरूप इन्द्राज करने के आदेश दिये। उक्त आदेश के विरूद्व अपीलान्ट द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गई है।
3. अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर, रेस्पोडेन्ट्स एवं अधीनस्थ न्यायालय का रिकॉर्ड तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट सं. 6,7, 8 के निमित सम्मन जारी किये जाने के बाद भी उपस्थित नही आये। रेस्पोडेन्ट सं. 1 ता 5, 9 ता 11 तथा रेस्पोडेन्ट सं. 12 के अभिभाषक भी बहस के दौरान अनुपस्थित रहे।
4. अपीलांट के विद्वान अभिभाषक ने अपील मीमो मे अंकित बिन्दुओं को ही अपनी बहस बता कर अपील अपीलांट स्वीकार कर उपखण्ड अधिकारी संगरिया द्वारा पारित आदेश दिनांक 25.07.2002 को निरस्त कर इंतकाल सं. 229 दिनांक 20.04.2001 को यथावत रखने का निवेदन किया।
5. राजकीय अभिभाषक ने बहस के दौरान कहा कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय सही पारित किया गया है अतः अपीलान्ट की अपील खारिज की जावे।
6. हमने विद्वान अभिभाषकगणो की बहस पर मनन करते हुवे उपलब्ध दस्तावेजात, एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन/ अध्ययन किया।

अति.संभागीय आयुक्त
श्रीगंगानगर

प्रस्तुत अपील उपखण्ड अधिकारी संगरिया के द्वारा पारित निर्णय दिनांक 25.07.2002 के विरूद्व प्रस्तुत की गई जिसमे उपखण्ड अधिकारी संगरिया ने ग्राम पंचायत इन्द्रगढ के द्वारा निर्णित नामान्तकरण सं. 229 दिनांक 20.04.2001 को प्रस्तुंत प्रकरण में धोषणात्मक वाद पक्षकारो के मध्य विचाराधीन होने के आधार पर रिकॉर्ड की पूर्व स्थिति वाद के निर्णय तक यथावत रखने हेतु निरस्त किया गया है। इस निर्णय के विरूद्व यह अपील प्रस्तुत की गई है। इस संबध में विभिन्न न्यायिक दृष्टान्तो से विधिक स्थिति स्पष्ट है कि नामान्तकरण एक (Fiscal) फिस्कल कार्यवाही है और जब पक्षकारो के मध्य नियमित वाद विचाराधीन हो तब वाद के निर्णय अनुसार ही नामान्तकरण दर्ज किया जाना चाहिये जो कि प्रस्तुत प्रकरण पर हुबहू लागू होती है। इस प्रकार उपरोक्त विवेचन के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 25.07.2002 में किसी प्रकार की त्रुटि नही होने के कारण उसमे हस्तक्षेप की आवश्यकता नही है। अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाती है।

तदनुसार अपील निर्णित शुमार हो। पत्रावली नम्बर से कम हो। पत्रावली बाद तरतीब, तकमील दाखिल दफ्तर रहे। निर्णय आज दिनांक 30.09.2021 को लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(ए.एच.गौरी)
अति.संभागीय आयुक्त,
बीकानेर।